

धायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2021(2021/00129)

श्रीमति विष्णुकंवर पत्नि श्री नृजेन्द्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी सांकरिया हाल केकड़ी
तहसील केकड़ी जिला अजमेर
बनाम
-प्रार्थीयां

1. राजेन्द्र पुत्री धनराज बैरवा
2. गौरी पत्नि रंगलाल बैरवा
3. धनराज पुत्र रंगलाल बैरवा
4. रामदेव पुत्र गोपाल बैरवा
5. राजेन्द्र पुत्री पोलू बैरवा
6. गौरी पुत्री पोलू बैरवा

सभी निवासीगण मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-

1. श्री एस0के0दाधीच - प्रार्थीयां
2. तहसीलदार केकड़ी -पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 24.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयां ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मोलकिया की जमाबंदी संवत् 2073-2076 तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित है:-


खेवट खतौनी		खसरा नंबर	रकवा	किस्म
नई	पुरानी			
228	34	1256/552	0.3236	नहरी 1

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया के कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थीयां के नाम दर्ज है। आराजीयात पर आने जाने हेतु राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस व जम्हबंदी मे कोई रास्ता दर्ज नहीं है। जिसमे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 553 की भूमि के जानिब उत्तर पूर्व की ओर स्थित होकर प्रार्थीयां की उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 1256/552 मे व उपरोक्त खसरा नंबर की आवपासी के लिए बनाये गये चाह खसरा नंबर 551 मे जाता है, उक्त रास्ता कदीमी है तथा लगभग 30 फिट चौड़ा है तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजी मे जाने का कोई रास्ता नहीं है। उक्त कदीमी रास्ता अग्रंभ से मौके पर अवस्थित है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित है उक्त कदीमी रास्ते से प्रार्थी तथा अन्य पश्चिमी और स्थित खेतो वाले भी इसी रास्ते से आते जाते है। अतः उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व रेकार्ड मे " रास्ता के रूप मे अभिलेखित किया जाये "तथा इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक्सपार्टी की जाकर जमा किया गया।

अप्रार्थीसंख्या 07 पैरोकार सरकार अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ.
/2021/7566 दिनांक 10.09.2021 द्वारा बताये अनुसार रास्ता खसरा नंबर 808 के पश्चात
562 व 529 मे से आवागमन करते थे। खसरा नंबर 562 व 529 की किस्म गैर गुमकिन तालाब
दर्ज है। प्रार्थीयां के खेत से निकटतम दूरी पर केकड़ी-देवली रोड खसरा नंबर 528 गैर

मुम्किन तालाब मे रास्ता विद्यमान है। मौका स्थिति अनुसार खसरा नंबर 528 के पश्चात
खसरा नंबर 808 से से आवागमन सुविधाजनक रहेगा। प्रतिकर राशि की गणना डी0एल0सी0
दर 376002 गुणा 73.12 गुणा 2 कुल
रुपया 5499 रूपया है।
परस्तावित रास्ते की चौड़ाई 30 फीट यानि 9.14 मीटर व लम्बाई 8
मीटर है जिसका क्षेत्रफल 9.14 गुणा 8 कुल 73.12 वर्गमीटर है। पैरोकार सरकार का जवाब
दाएँ होने पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दोहराया।
अपना पत्र 06 के खिलाफ एक्सपार्टी की जाकर जवाब बंद किया जा चुका है।
पैरोकार सरकार अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2021/7566
द्वारा बताये अनुसार रास्ता खसरा नंबर 808 के पश्चात 562 व 529 मे से
10.09.2021 द्वारा खसरा नंबर 562 व 529 की किस्म गैर मुमकिन तालाब दर्ज है। प्रार्थीयां
से निकटतम दूरी पर केकड़ी-देवली रोड खसरा नंबर 528 गैर मुमकिन सडक मे
विद्यमान है। मौका स्थिति अनुसार खसरा नंबर 528 के पश्चात खसरा नंबर 553 मे से
आवागमन सुविधाजनक रहेगा। प्रतिकर राशि की गणना डी0एल0सी0 दर 376002/-रुपये है
तथा दुगनी दर से प्रतिकर राशि 376002 गुणा 73.12 गुणा 2 कुल रूपया 5499 रूपया है।
परस्तावित रास्ते की चौड़ाई 30 फीट यानि 9.14 मीटर व लम्बाई 8 मीटर है जिसका क्षेत्रफल
9.14 गुणा 8 कुल 73.12 वर्गमीटर है। प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
जहसीलदार केकड़ी उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस मे गै.मु0 सार्वजनिक
रास्ते के रूप मे अंकित/ तरमीम किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।
आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (डी.जे.मेर)

